

माननीय ए. एल. बहरी, वी. के. बाली, जे जे के समक्ष

मुबारिक पुर स्टोन क्रशर यूनियन,-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-उत्तरदाता,

1992 की सिविल रिट याचिका संख्या 3443

12 मई, 1992

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम(1973 का XX)- धारा 51-दंड-याचिकाकर्ता पत्थर तोड़ने वालों का एक संघ है-पंजाब से पत्थर, बजरी आदि 66 रुपये प्रति ट्रक की दर से खरीदना। -ट्रकों में क्रशर के लिए लाई जाने वाली ऐसी सामग्री-हरियाणा सीमा पर 20 रु जुर्माने के रूप में प्रति ट्रक- अधिनियम के प्रावधानों का पालन किए बिना जुर्माना लगाने में प्रतिवादी की ऐसी कार्रवाई अमान्य-रसीद को अधिनियम की धारा 51 (2) के तहत पारित आदेश के रूप में नहीं माना जा सकता है-आदेश के बिना याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई अपील दायर नहीं की जा सकती थी।

अभिनिर्धारित किया गया कि मौजूदा मामले के तथ्यों के अनुसार चेक पोस्ट पर अधिनियम की धारा 51 के तहत प्रति ट्रक 20 रुपये शुल्क लिया गया। हालांकि,

इस रसीद को अधिनियम की धारा 51 (2) के तहत पारित आदेश के रूप में नहीं माना जा सकता है। उपरोक्त प्रावधान धारा 51 की उप- धारा (1) में उल्लिखित जुर्माना लगाने से पहले सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करता है जो आगे अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन या विफलता के बारे में आदेश देने का प्रावधान करता है। चेक-पोस्ट पर मूल्यांकन प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन या गैर-अनुपालन को निर्दिष्ट करते हुए ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया। जुर्माना लगाने का आदेश एक अर्ध न्यायिक आदेश है और इसका समर्थन कारणों से किया जाना आवश्यक था। तभी पीड़ित व्यक्ति अपील में इसे चुनौती दे सकता है। ऊपर बताई गई परिस्थितियों में याचिकाकर्ता द्वारा अपील दायर न करने को वर्तमान मामले के तथ्य में रिट याचिका पर विचार करने के लिए एक बाधा के रूप में नहीं माना जा सकता है। ऊपर दर्ज कारणों के लिए, इस रिट याचिका को लागत के साथ अनुमति दी जाती है।

(पैरा 7 & 10)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका में अनुरोध किया गया है कि:—

- (i) कृपया मामले के रिकॉर्ड मंगवाए जाएं;
- (ii) अभिलेख के अवलोकन और वकील पर सुनवाई के बाद, यह माननीय न्यायालय कृपया निम्नलिखित राहत प्रदान कर सके:—
 - (a) याचिकाकर्ता-संघ के साथ संलग्न ट्‍रकों पर जुर्माना लगाने से प्रतिवादीओं को रोकने के लिए एक उचित रिट या आदेश जारी करना और उसके अनुसरण में आगे की कार्रवाई करना;
 - (b) प्रतिवादी को निर्देश दें कि वे प्रासंगिक दस्तावेजों को पेश करने पर याचिकाकर्ता के ट्‍रकों को न रोकें;
- (iii) कि कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित समझे, कृपया जारी

किया जाए;

- (iv) *कि कोई अन्य राहत जिसके लिए याचिकाकर्ता तथ्यों और मामले की परिस्थितियों में हकदार पाया जाए को कृपया मंजूर किया जाए;*
- (v) *कि मामले की तात्कालिकता को देखते हुए प्रतिवादी को इस याचिका की अग्रिम सूचना देने की आवश्यकता को कृपया समाप्त किया जाए;*
- (vi) *ताकि मामले की तात्कालिकता को देखते हुए अनुलग्नकों की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने की आवश्यकता को कृपया समाप्त किया जाए*
- (vii) *याचिका का व्यय कृपया याचिकाकर्ता के पक्ष में और प्रतिवादी के खिलाफ दिया जाए क्योंकि यह उनके हाथों से परिहार्य व्यय के लिए रखा गया है:*

(viii) यह भी अनुरोध किया जाता है कि इस माननीय न्यायालय में रिट याचिका विचाराधीनता रहने के दौरान, चेक बैरियर को पार करते समय संघ के ट्रकों पर जुर्माना लगाने पर रोक लगाई जाए; और प्रासंगिक दस्तावेजों को पेश करने पर ट्रकों को नहीं रोका जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दीपक सिब्बल,

प्रतिवादी के लिए डी. आर. त्रिखा, डी. ए. जी., हरियाणा।

निर्णय

(1) इस आदेश के माध्यम से दो रिट याचिकाओं का निपटारा किया जा रहा है क्योंकि तथ्य और कानून का सवाल समान हैं। तथ्य 1992 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 3443 की फाइल से लिए गए हैं।

(2) याचिकाकर्ता पत्थर तोड़ने वालों का एक संघ है जिसे मुबारिकपुर स्टोन क्रशर्स यूनियन के नाम से जाना जाता है। दूसरी रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं की संख्या 11 है। ये सभी याचिकाकर्ता पत्थर तोड़ने का काम कर रहे हैं। संघ के सदस्य पंजाब की खदानों से खदान-ठेकेदारों से पत्थर, गटका और बजरी खरीदते हैं। याचिकाकर्ता हरियाणा सामान्य बिक्री-कर अधिनियम के तहत आबकारी और कराधान अधिकारियों के पास पंजीकृत हैं। इस तरह की सामग्री को ऐसी फर्मों के स्वामित्व वाले या किराए पर लिए गए ट्रकों में तोड़ने के लिए लाया जाता है। खदान-ठेकेदार प्रति ट्रक 200 घन फुट 66 रुपये लेता है। और उस पर 10 प्रतिशत केंद्रीय बिक्री-कर के रूप में, यानी रु 66 में केंद्रीय बिक्री-कर शामिल है। इनमें से एक बिल को संलग्नक पी. 1 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। घग्गर नदी के तल पर श्रमिकों को ट्रकों को लोड करने के लिए लगाया जाता है, और लोडिंग शुल्क रु 35 से रु 40, 200 घन फुट के प्रति ट्रक का भुगतान किया जाता है। जब ट्रक हरियाणा सीमा पर पहुंचते हैं, तो उन्हें रोका जाता है और उन्हें प्रत्यर्थी सं 2. प्रभारी अधिकारी, बिक्री-कर जांच बाधा, रामगढ़ द्वारा 20 रुपये प्रति ट्रक देने के लिए कहा जाता है, इस तथ्य के बावजूद कि पत्थर आदि की खरीद का आवश्यक बिल। इस तथ्य के बावजूद कि पत्थर आदि की खरीद का आवश्यक बिल 66 रुपये प्रति ट्रक की दर से बिक्री-कर फॉर्म-38 के साथ दिखाया गया है। एक 20 रुपये की रसीद फॉर्म एसटी-29 में जारी की जाती है, जिसका उद्देश्य

हरियाणा सामान्य बिक्री-कर अधिनियम (इसके बाद इसे 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) की धारा 51 के तहत दंड के रूप में राशि वसूलना है -ऐसी प्राप्तियों में से एक को संलग्नक पी. 2 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस तरह संघ के सदस्यों को लगभग 3,000 रु प्रतिदिन का भुगतान करना पड़ता है। प्रतिवादी संख्या 2 से 20 रुपये प्रति ट्रक वसूलने के संबंध में कई पूछताछ की गईं लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इससे पहले रु. 10 प्रति ट्रक प्रति यात्रा शुल्क लिया जाता था जिसे मैसर्स भारत स्टोन क्रशर, ज़ीरकपुर द्वारा संयुक्त उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त (अपील) के समक्ष चुनौती दी गई थी।¹² नवंबर, 1987 के आदेश के माध्यम से (अनुलग्नक पी. 3) रु. 10 प्रति.

प्रति यात्रा ट्रक को रद्द कर दिया गया था। इन रिट याचिकाओं में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा, अधिनियम के प्रावधानों का पालन किए बिना 20 रुपये प्रति ट्रक प्रति यात्रा की दर से जुर्माने को लागू करने को चुनौती दी गई है।

(3) प्रस्ताव की सूचना जारी होने पर, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जवाब दर्ज किया गया है। प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि याचिकाकर्ताओं के लिए अपील दायर करने का वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है और इस न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। गुणों पर यह कहा गया कि खनन ठेकेदार द्वारा पत्थर आदि की खुदाई पंजाब लघु खनिज रियायत नियम, 1964 के प्रावधानों के तहत की गई थी और ऐसे अधिकारों की नीलामी की गई थी। नीलामी-निविदाओं में से एक की प्रति अनुलग्नक आर. 1 के रूप में प्रस्तुत की गई थी। इस बात से इनकार किया गया था कि याचिकाकर्ता पत्थर तोड़ने वाले थे या उन्होंने कभी 20 रुपये प्रति ट्रक के शुल्क को चुनौती दी थी, जो शुल्क वैध बताया गया था। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा की गई जांच से पता चला कि रु 30 से रु. 50 श्रम शुल्क बिलों में शामिल नहीं थे और संलग्नक पी. 2 की तरह पेश किए गए बिल वास्तविक नहीं थे। जुर्माना स्वेच्छा से दिया गया था। कोई विस्तृत आदेश पारित नहीं किया गया था। यह स्वीकार किया गया कि मैसर्स भारत स्टोन क्रशर, ज़ीरकपुर, केस में आदेश पारित किया गया था जिसे व्यक्तीबंधी आदेश के रूप में वर्णित किया गया था न की सर्वबन्धी।

(4) पार्टियों के वकीलों को सुनने के बाद, हमारी दृढ़ राय है कि 20 रुपये प्रति ट्रक प्रति यात्रा याचिकाकर्ताओं से वसूलना, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं था जिसे रद्द किया जा सकता है।

(5) श्री डी. आर. त्रिखा, डी. ए. जी. हरियाणा ने रिट याचिका की स्थिरता के बारे में प्रारंभिक आपत्ति जताई है। तर्क यह है कि निर्धारण प्राधिकरण द्वारा कर के उद्ग्रहण को अधिनियम की धारा 39 के तहत अपील में चुनौती दी जा सकती है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता, श्री दीपक सिब्बल ने इस तर्क का खंडन किया है और आरोप लगाया कि चूंकि मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा कारणों से समर्थित कोई आदेश पारित नहीं किया गया था, इसलिए अपील नहीं की जा

सकती है।

(6) हमने पार्टियों के वकील की दलीलों पर उचित विचार किया है और हमने पाया है कि उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति में कोई सार नहीं है। अधिनियम की धारा 51 (1) और (2) और धारा 39 (1) निम्नानुसार है:—

“51—अन्य अपराध:— (1) जो कोई भी इस अधिनियम के किसी प्रावधान या उसके तहत बनाए गए नियमों या किए गए या दिए गए किसी आदेश या निर्देश का उल्लंघन करता है या उसका पालन करने में विफल रहता है।

इसके तहत, यदि इस अधिनियम के तहत इस तरह के उल्लंघन या विफलता के लिए कोई अन्य दंड का प्रावधान नहीं है, तो न तो दो हजार रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया जा सकता है, और जहां ऐसा उल्लंघन या विफलता जारी है, तो विफलता के उल्लंघन के जारी रहने की अवधि के दौरान पचास रुपये से अधिक का दैनिक जुर्माना लगाया जा सकता है।

- (2) किसी चेक पोस्ट या बैरियर का प्रभारी अधिकारी या धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत नियुक्त सहायक उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी के पद या ऊपर का कोई अन्य अधिकारी या ऐसा कोई अन्य अधिकारी जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, उप-धारा (1) में उल्लिखित दंड अधिरोपित कर सकता है:

बशर्ते कि किसी चेक पोस्ट या बैरियर का प्रभारी अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग केवल उसी चेक पोस्ट या बैरियर पर ही करेगा।”

“39. अपील:— (1) इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत पारित धारा 40 के तहत एक आदेश सहित प्रत्येक मूल आदेश की अपील होगी:—

- (a) यदि आदेश किसी चेक-पोस्ट या बैरियर के प्रभारी निर्धारण प्राधिकारी अधिकारी या उप-उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा दिया जाता है, तो उप-उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त या ऐसे अन्य अधिकारी जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे,
- (b) यदि आदेश उप-आबकारी और कराधान आयुक्त द्वारा दिया जाता है, तो आयुक्त या ऐसे अन्य अधिकारी जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे
- (c) यदि आदेश आयुक्त द्वारा दिया जाता है, तो न्यायाधिकरण को।”

(7) वर्तमान मामले के तथ्यों के अनुसार प्रति ट्रक 20 रुपये चेक पोस्ट पर अधिनियम की धारा 51 के तहत वसूले गये, जैसा कि अनुबंध पी 2 से स्पष्ट है। लेकिन इस रसीद को अधिनियम की धारा 51 (2) के तहत पारित आदेश के रूप में नहीं माना जा सकता है। उपरोक्त प्रावधान धारा 51 की उपधारा (1) में उल्लिखित जुर्माना लगाने से पहले सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने का प्रावधान करता है जो आगे उल्लंघन या अधिनियम के प्रावधानों की विफलता के बारे में आदेश देने का प्रावधान करता है।

चेक-पोस्ट पर मूल्यांकन प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन या गैर-अनुपालन को निर्दिष्ट करते हुए ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया। जुर्माना लगाने का आदेश एक अर्ध न्यायिक आदेश है और इसका समर्थन कारणों से किया जाना आवश्यक था। तभी पीड़ित व्यक्ति अपील में इसे चुनौती दे सकता है। जैसा कि प्रतिवादी द्वारा दायर लिखित बयान में स्वीकार किया गया है कि जुर्माना राशि एकत्र करने से पहले चेक-पोस्ट पर मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। अधिनियम के तहत बनाए गए नियम 55 (3) में अपील के साथ आदेश की प्रमाणित प्रति या सत्यापित प्रति दाखिल करने का प्रावधान है। स्पष्ट रूप से वर्तमान मामले में आदेश के अभाव में अपील दायर नहीं की जा सकती थी या इसकी प्रति और वर्तमान मामले के तथ्यों में अपील के उपचार को प्रभावी उपाय नहीं माना जाता है। ऊपर बताई गई परिस्थितियों में याचिकाकर्ता द्वारा अपील दायर न करने को वर्तमान मामले के तथ्यों में रिट याचिका पर विचार करने के लिए एक बाधा के रूप में नहीं माना जा सकता है।

(8) जैसा कि ऊपर संक्षेप में चर्चा की गई है, वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता से किसी भी कारण से समर्थित इस तरह के दंड को लागू करने वाले किसी भी आदेश के बिना जुर्माना लगाया गया है। संलग्नक पी. 3 संयुक्त उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त (अपील) के आदेश की प्रति है जो *मेसर्स भारत स्टोन क्रशर, जीरकपुर (अंबाला) बनाम प्रभारी अधिकारी*, बिक्री कर जांच अवरोधक, पंचकूला के मामले में अधिनियम की धारा 51 के तहत चेक-पोस्ट पर जुर्माना लगाने के समान मामले से संबंधित है। आदेश के परिचालन भाग को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:—

“दोनों पक्षों को सुनने के बाद, मैंने पाया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जुर्माना लगाने वाले अधिकारी ने व्यापार का अध्ययन और विश्लेषण करने के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन खरीदार के ट्रक पर लगाए गए जुर्माने को कायम नहीं रखा जा सकता है। यदि अधिकारी ने माना है कि विक्रेता ने कम मूल्य पर बिक्री बिल जारी किया है तो उसे उस विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो हरियाणा सामान्य

बिक्री कर के तहत पंजीकृत है न कि खरीदार के आकस्मिक ट्रक के खिलाफ/खरीदार की कोई गलती नहीं है और उसने बिक्री विक्रेता द्वारा जारी बिक्री बिल के अनुसार फॉर्म एसटी-38 में घोषणा प्रस्तुत की है।इसलिए सजा को रद्द कर दिया जाता है।”

(9) इस तथ्य के बावजूद कि आदेश संलग्नक पी. 3 12 नवंबर, 1987 को पारित किया गया था. अधिनियम के तहत अधिकारी इसे लागू करने में विफल रहे हैं।बल्कि अधिनियम की धारा 51 के तहत दंड के रूप में चेक-पोस्ट पर धन एकत्र करने की प्रथा को जारी रखने में किसी भी अर्ध न्यायिक आदेश को पारित किए बिना निर्देशों का घोर दुरुपयोग किया गया प्रतीत होता है।

(10) ऊपर दर्ज कारणों से, इस रिट याचिका को लागत के साथ अनुमति दी जाती है। जुर्माने का शुल्क जैसे याचिकाकर्ताओं के मामले में चेक-पोस्ट पर 20 रुपये प्रति ट्रक प्रति ट्रिप को रद्द कर दिया जाता है, जिसमें प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ताओं से उनके स्थानांतरण पर लगाए गए दंड की राशि को वापस करें, एक आवेदन जिसमें धनवापसी के लिए आवेदन दायर करने के 3 महीने की अवधि के भीतर इसका विवरण दिया जाता है, लागत का आकलन रु 2000 प्रत्येक मामले में किया जाता है।

जे एस टी।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

आशिमा गर्ग
प्रशिक्षु न्यायिक
अधिकारी
(Trainee
Judicial Officer)

गुरूग्राम, हरियाणा